

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.3; पृष्ठ 5)

राज्य सरकार के वित्त पर समय क्रम डेटा

(₹ करोड़ में)

भाग क प्राप्ति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1. राजस्व प्राप्ति	47,557	52,497	62,695	65,885	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315	1,06,429
(I) स्व-कर राजस्व	30,929	34,026	41,099	42,581	42,825	41,914	53,377	62,961	72,511	77,943
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	0	0	10,833	18,613	18,873	18,236	22,922	28,577	33,960	37,739
कृषि आय पर कर										
विक्रयों, व्यापार आदि पर कर	21,060	23,488	15,609	8,998	8,398	8,660	11,221	11,262	11,331	11,517
राज्य उत्पाद शुल्क	4,371	4,613	4,966	6,042	6,323	6,864	7,934	9,673	11,326	12,701
वाहन पर कर	1,401	1,583	2,778	2,908	2,916	2,495	3,265	4,231	4,904	5,268
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,191	3,283	4,193	5,636	6,013	5,157	7,598	8,607	10,529	10,492
भूराजस्व	15	16	18	19	20	17	21	23	22	22
माल एवं यात्रियों पर कर	554	595	2,317	21	16	4	6	3	7	2
अन्य कर	337	448	385	344	266	481	410	585	432	202
(II) गैर-कर राजस्व	4,753	6,196	9,113	7,976	7,400	6,961	7,394	8,742	8,103	7,536
(III) संचय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	5,496	6,597	7,298	8,255	7,111	6,438	9,722	10,378	12,345	14,065
(IV) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	6,379	5,678	5,185	7,073	10,522	12,248	7,599	7,113	8,356	6,885
2. विविध पूंजीगत प्राप्ति	30	26	40	49	54	63	67	74	115	102
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	328	973	6,341	5,372	5,393	432	500	238	301	294
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्ति (1+2+3)	47,915	53,496	69,076	71,306	73,305	68,056	78,659	89,506	1,01,731	1,06,826
5. लोक ऋण प्राप्ति	37,998	28,170	21,490	34,265	44,432	53,817	55,106	80,649	88,721	88,519
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	37,901	28,047	21,270	33,635	43,068	44,363	44,793	58,245	60,982	63,830
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	0	0	79	505	1,262	4,977	2,776	21,134	25,994	23,230
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97	123	141(1)	125	102	4,477	7,537	1,270	1,745	1,459
6. समेकित निधि में कुल प्राप्ति (4+5)	85,913	81,666	90,566	1,05,571	1,17,737	1,21,873	1,33,765	1,70,155	1,90,452	1,95,344
7. आकस्मिक निधि प्राप्ति	63	80	27	12	0	800	900	0	0	546
8. लोक लेखा प्राप्ति	29,056	32,108	33,894	40,785	45,047	53,761	55,671	70,111	78,102	80,161
9. राज्य की कुल प्राप्ति (6+7+8)	1,15,032	1,13,854	1,24,487	1,46,368	1,62,784	1,76,434	1,90,336	2,40,266	2,68,554	2,76,051
भाग ख. व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	59,236	68,403	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196	1,25,849

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	18,713	21,631	26,699	28,169	31,884	34,734	37,948	42,069	45,398	50,060
सामाजिक सेवाएं	21,539	25,473	28,061	29,743	33,726	36,164	40,928	43,680	43,778	49,335
आर्थिक सेवाएं	18,691	20,875	18,107	19,021	19,238	19,048	19,549	20,657	24,020	26,454
सहायता अनुदान एवं अंशदान	293	424(1)	390(1)	222(1)	0	0	0	0	0	0
11. पूंजीगत व्यय	6,908	6,863	13,538	15,307	17,666	5,870	11,046	11,665	15,921	12,480
सामान्य सेवाएं	460	399	481	715	586	388	562	553	641	628
सामाजिक सेवाएं	1,540	1,587	3,173	3,805	3,234	2,986	5,471	3,756	4,438	4,819
आर्थिक सेवाएं	4,908	4,877	9,884	10,787	13,846	2,496	5,013	7,356	10,842	7,033
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	13,250	4,515	1,395	756	1,309	926	966	2,462	4,055	3,161
13. कुल व्यय (10+11+12+15)	79,394	79,781	88,190	93,218	1,03,823	97,542	1,10,437	1,20,533	1,33,172	1,41,490
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	7,215	5,276	6,339	17,184	15,776	29,498	25,473	53,021	59,194	57,540
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	7,039	5,090	6,074	16,480	14,250	24,191	22,542	31,672	32,990	34,100
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	79	505	1,262	4,977	2,776	21,134	25,994	23,230
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	176	186	186	199	264	330	155	215	210	210
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
16. समेकित निधि में से कुल संचितरण (13+14+15)	86,609	85,057	94,529	1,10,402	1,19,599	1,27,840	1,35,910	1,73,554	1,92,366	1,99,030
17. आकस्मिक निधि संचितरण	63	80	27	12	0	0	900	0	546	149
18. लोक लेखा संचितरण	28,650	29,276	31,171	37,386	42,171	50,245	51,728	67,825	74,037	76,253
19. राज्य द्वारा कुल संचितरण (16+17+18)	1,15,322	1,14,413	1,25,727	1,47,800	1,61,770	1,78,085	1,88,538	2,41,379	2,66,949	2,75,432
भाग ग. घाटा/अधिक्य										
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिक्य (+)(1-10)	(-) 11,679	(-) 15,906	(-) 10,562	(-) 11,270	(-) 16,990	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881	(-) 19,420
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिक्य (+) (4-13)	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912	(-) 30,518	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027	(-) 31,441	(-) 34,665
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिक्य (+) (21+23)	(-) 23,195	(-) 15,743	(-) 7,153	(-) 8,361	(-) 14,930	(-) 12,371	(-) 13,416	(-) 10,931	(-) 9,836	(-) 10,446
भाग-घ. अन्य डेटा										
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	8,284	10,542	11,961	13,551	15,588	17,115	18,362	20,096	21,605	24,219
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	10,766	12,647	9,844	10,078	11,337	13,012	12,446	11,673	12,139	13,356
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट से प्राप्त लाभ	0	0	79(2)	505(4)	1,262(11)	4,977(42)	2,776(19)	21,134(188)	25,994(163)	23,230(126)
अर्थोपाय अग्रिम से प्राप्त लाभ (दिनों में)	(0)	(0)	(2)	(4)	(11)	(42)	(18)	(184)	(163)	(126)
ओवरड्राफ्ट से प्राप्त लाभ (दिनों में)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(4)	(0)	(0)
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0	0.02	0.29	0.42	1.31	0.29	10.36	9.03	9.75
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	4,95,504	5,61,424	6,38,832	6,98,940	7,38,052	7,30,442	8,77,269	9,74,732	10,85,510	12,13,951
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216	2,15,562	2,38,708	2,63,950	2,93,122	3,26,622	3,60,967
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अंत में) (व्याज सहित)	16,886	8,260	14,187	18,273	20,770	23,053	24,343	23,058	24,215	23,932
30. अधिकतम गारंटीकृत राशि (वर्ष के अंत में)	32,177	17,911	19,000	20,654	22,560	25,492	30,579	30,926	50,850	35,531

भाग ड.: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
I. संसाधन संग्रहण										
स्व-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	6.24	6.06	6.43	6.09	5.80	5.74	6.08	6.46	6.68	6.42
स्व-नौर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.96	1.10	1.43	1.14	1.00	0.95	0.84	0.90	0.75	0.62
स्व राजस्व/स.रा.घ.उ.	7.20	7.16	7.86	7.23	6.81	6.69	6.93	7.36	7.43	7.04
स्व राजस्व/कुल व्यय	44.94	50.42	56.94	54.24	48.38	50.11	55.03	59.49	60.53	60.41
II. व्यय प्रबंधन										
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	16.02	14.21	13.80	13.34	14.07	13.35	12.59	12.37	12.27	11.66
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	166.94	151.97	140.67	141.49	153.00	144.38	141.42	135.14	131.44	132.94
राजस्व व्यय/कुल व्यय	74.61	85.74	83.07	82.77	81.72	92.21	89.12	88.28	85.00	88.95
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	58.79	66.20	67.16	67.97	67.46	62.22	64.25	62.60	62.38	61.94
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	8.70	8.60	15.35	16.42	17.02	6.02	10.00	9.68	11.96	8.82
पूँजीगत व्यय/स.रा.घ.उ.	1.39	1.22	2.12	2.19	2.39	0.80	1.26	1.20	1.47	1.03
III. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन										
राजस्व घाटा स.रा.घ.उ.	(-) 2.36	(-) 2.83	(-) 1.65	(-) 1.61	(-) 2.30	(-) 3.06	(-) 2.32	(-) 1.77	(-) 1.09	(-) 1.60
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/ स.रा.घ.उ.	(-) 6.35	(-) 4.68	(-) 2.99	(-) 3.14	(-) 4.13	(-) 4.04	(-) 3.62	(-) 3.18	(-) 2.90	(-) 2.86
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 4.68	(-) 2.80	(-) 1.12	(-) 1.20	(-) 2.02	(-) 1.69	(-) 1.53	(-) 1.12	(-) 0.91	(-) 0.86
IV. ऋण स्थिरता										
बकाया देयताएं/स.रा.घ.उ.	24.36	26.07	25.68	26.36	29.21	32.68	30.09	30.07	30.09	29.73
व्याज भुगतान /राजस्व प्राप्तियां	17.42	20.08	19.08	20.57	22.97	25.33	23.51	22.53	21.32	22.76

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 6)

वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25
भाग क: राजस्व					
1,01,314.84	I. राजस्व प्राप्तियां	1,06,429.41	1,13,195.69	I. राजस्व व्यय	1,25,849.29
72,511.12	कर राजस्व	77,942.68	45,398.26	सामान्य सेवाएं	50,060.70
8,103.00	गैर-कर राजस्व	7,536.20	43,777.53	सामाजिक सेवाएं	49,334.76
12,345.35	संघीय करों में राज्यांश	14,065.65	16,816.61	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18,582.71
	गैर-योजना अनुदान		6,086.42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,268.49
	राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान		6,427.66	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	6,124.82
	केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान		333.57	सूचना एवं प्रसारण	372.58
2,768.56	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2,853.99	626.12	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	553.07
1,973.33	वित्त आयोग अनुदान	2,392.53	866.44	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	940.10
3,613.48	राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,638.36	12,607.06	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	15,481.87
			13.65	अन्य	11.12
			24,019.90	आर्थिक सेवाएं-	26,453.83
			4,909.65	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	6,062.65
			3,658.13	ग्रामीण विकास	4,535.26
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	
			2,615.02	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,420.93
			7,953.07	ऊर्जा	7,838.60
			797.29	उद्योग एवं खनिज	977.65
			3,929.15	परिवहन	4,474.05
			37.57	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	30.20
			120.03	सामान्य आर्थिक सेवाएं	114.49
				सहयतानुदान और अंशदान -	
11,880.86	II. अगले वर्ष ले जाया गया राजस्व घाटा	19,419.88		II. अगले वर्ष ले जाया गया राजस्व अधिशेष	
भाग ख: पूंजीगत					
3,833.55	III. स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,438.02		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट	
114.83	IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	102.36	15,920.94	IV. पूंजीगत परिव्यय-	12,480.03
			640.61	सामान्य सेवाएं-	627.75
			4,437.93	सामाजिक सेवाएं-	4,819.37
			574.52	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	428.18
			1,154.36	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,339.49
			2,589.44	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,864.62
			60.49	सूचना एवं प्रसारण	90.00
			6.23	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4.15
			37.61	सामाजिक कल्याण और पोषण	61.73
			15.28	अन्य	31.20

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25
			10,842.40	आर्थिक सेवाएं-	7,032.90
			2,997.71	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	(-) 41.64
			1,232.16	ग्रामीण विकास	672.62
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	
			2,623.65	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,080.84
			234.04	ऊर्जा	125.56
			183.19	उद्योग एवं खनिज	0.21
			3,355.46	परिवहन	2,885.28
			216.19	सामान्य आर्थिक सेवाएं	310.03
301.15	V ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली-	293.88	4,055.22	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम-	3,161.48
101.75	विद्युत परियोजनाओं से	82.41	0.00	बिजली परियोजनाओं हेतु	0.00
74.93	सरकारी कर्मचारियों से	88.00	97.17	सरकारी कर्मचारियों को	94.52
124.47	अन्य से	123.47	3,958.05	अन्य को	3,066.96
	VI. राजस्व अधिशेष में कमी लाई गई			VI. राजस्व घाटा कम हुआ	
88,720.82	VII. लोक ऋण प्राप्तियां-	88,519.04	59,194.20	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान-	57,540.25
	बाह्य ऋण			बाह्य ऋण	
60,981.54	अर्थोपाय के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	63,830.45	32,990.08	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	34,099.94
25,994.12	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	23,230.03	25,994.12	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	23,230.03
	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	
1,745.16	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,458.56	210.00	केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	210.28
	VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोग			VIII. आकस्मिक निधि का विनियोग	
	IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	545.95	545.95	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	148.93
78,101.78	X. लोक लेखा प्राप्तियां-	80,161.44	74,036.94	X. लोक लेखा संवितरण-	76,252.83
3,484.04	लघु बचत एवं भविष्य निधि	3,518.89	3,385.61	लघु बचत एवं भविष्य निधि	3,503.85
2,523.27	आरक्षित निधियां	2,540.90	543.67	आरक्षित निधियां	226.20
1,849.07	उच्चत एवं विविध	2,110.62	2,294.23	उच्चत एवं विविध	2,120.86
12,361.36	प्रेषण	12,595.19	12,376.53	प्रेषण	12,628.62
57,884.04	जमा और अग्रिम	59,395.84	55,436.90	जमा एवं अग्रिम	57,773.30
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		5,438.02	XI. अंतिम रोकड़ शेष	6,057.28
			0.54	खजानों तथा स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	0.54
			373.36	रिजर्व बैंक में जमा	216.46
			4.14	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	11.09
			1,272.60	रोकड़ शेष निवेश	1,455.20
			3,787.38	चिह्नित निवेश	4,373.99
			0.00	पूर्णांकन के कारण अंतर	0.01
1,71,072.13	कुल	1,75,060.69	1,71,072.13	कुल	1,75,060.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, हरियाणा सरकार

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.5; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2025 को
देयताएं			
2,80,772.24	आंतरिक ऋण		3,10,502.75
2,52,739.35	ब्याज युक्त बाजार ऋण	2,89,639.35	
0.02	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02	
5,352.10	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,347.71	
22,680.77	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	16,515.67	
-	अर्थोपाय अग्रिम		-
-	भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट		-
15,285.21	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम -		13,827.90
	1984-85 से पूर्व के ऋण		
4.41	योजनेतर ऋण	2.86	
456.43	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	247.71	
15,364.37	विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के लिए ऋण	13,577.33	
1,000.00	आकस्मिक निधि		1,000.00
18,762.25	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि		18,777.29
14,557.39	जमा		16,179.92
12,238.55	आरक्षित निधियां		14,553.25
-	उचंत तथा विविध शेष		-
336.99	प्रेषण शेष		303.55
-	व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य		-
3,43,492.63	कुल		3,75,144.66
परिसंपत्तियां			
1,56,410.71	अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		1,67,914.39
38,278.21	कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश	38,306.53	
1,18,132.50	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,29,607.86	
14,328.46	ऋण एवं अग्रिम		18,070.05
730.49	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	648.08	
13,440.68	अन्य विकास ऋण	17,258.16	
157.29	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	163.81	
0.74	अग्रिम		0.74
-	प्रेषण शेष	-	-
19.72	उचन्त एवं विविध शेष		29.96

31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2025 को
5,438.02	रोकड़		6,057.28
0.54	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
373.36	रिजर्व बैंक में जमा	216.46	
4.03	विभागीय रोकड़ शेष	10.98	
0.11	स्थाई अग्रिम	0.11	
	प्रतिभूति जमा	-	
3,787.38	चिन्हित निधियों का निवेश	4,373.99	
1,272.60	रोकड़ शेष निवेश	1,455.20	
1,66,749.02	सरकारी लेखों पर घाटा -		1,82,923.30*
11,880.86	(i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	19,419.88	
-	(ii) आकस्मिक निधि का विनियोग	-	
1,54,868.16	(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	1,66,749.02	
	घटा: केंद्र सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण के कारण प्रोफार्मा सुधार	3,245.60	
0.01	पूर्णिकन के कारण अंतर		0.01
545.95	आकस्मिक निधि		148.93
3,43,492.63	कुल		3,75,144.66

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, हरियाणा सरकार।

व्याख्यात्मक नोट:

उपर्युक्त विवरणों में दिए गए संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखों में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाए। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ आधार पर होने के कारण, परिशिष्ट 1.2 में दर्शाया गया सरकारी लेखे का घाटा, रोकड़ आधार पर स्थिति को इंगित करता है, जो कि वाणिज्यिक लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के विपरीत है।

* केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बैंक-टू-बैंक ऋणों के कारण प्रोफार्मा सुधार द्वारा घटाया गया।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 65)

ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	मूल प्रावधान से बचत
	राजस्व दत्तमत				
1	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	186.15	15.00	181.32	(-) 4.83
2	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,277.53	64.66	858.19	(-) 419.34
3	4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	2,874.97	279.25	2,614.48	(-) 260.49
4	5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	7,751.55	537.25	7,713.09	(-) 38.46
5	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	16,496.52	7.56	15,929.52	(-) 567.00
6	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	6,115.43	1,000.02	4,804.88	(-) 1,310.55
7	11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1,994.06	389.84	1,568.19	(-) 425.87
8	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	21,277.08	460.22	19,815.57	(-) 1,461.51
9	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	595.08	30.35	418.68	(-) 176.40
10	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	8,262.52	482.80	7,268.38	(-) 994.14
11	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	1,178.74	30.00	942.97	(-) 235.77
12	20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	14,394.75	314.02	10,171.21	(-) 4,223.54
	कुल	82,404.38	3,610.97	72,286.48	(-) 10,117.90
	पूँजीगत दत्तमत				
13	5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	410.01	130.00	386.65	(-) 23.36
14	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,069.12	120.00	397.88	(-) 671.24
15	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	1,780.70	3.00	1,162.29	(-) 618.41
16	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	298.50	241.14	255.95	(-) 42.55
17	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	2,175.03	604.70	2,158.19	(-) 16.84
18	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,191.56	22.60	3,287.61	(-) 1,903.95
19	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	3,499.52	50.00	3,061.44	(-) 438.08
20	20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	3,679.10	889.00	3,595.15	(-) 83.95
	कुल	18,103.54	2,060.44	14,305.16	(-) 3,798.38
	कुल योग	1,00,507.92	5,671.41	86,591.64	(-) 13,916.28

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 65)

ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
	राजस्व दत्तमत					
1	16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण	12,061.98	1,121.68	13,183.66	12,702.29	(-) 481.37
2	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/ परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,336.17	787.71	6,123.88	5,750.69	(-) 373.19
3	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	10,705.13	1,359.46	12,064.59	11,814.23	(-) 250.36
	कुल	28,103.28	3,268.85	31,372.13	30,267.21	(-) 1,104.92

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 67)

20 अनुदानों के अंतर्गत बजट, व्यय एवं बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि
1 विधान सभा	148.89	0.00	148.89	81.65	(-) 67.24	68.08
2 राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	209.81	15.00	224.81	200.64	(-) 24.17	25.25
3 सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,400.80	64.66	1,465.46	890.33	(-) 575.13	582.71
4 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/ अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	3,324.97	279.25	3,604.22	2,790.31	(-) 813.91	1,242.21
5 गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	8,438.42	667.25	9,105.67	8,348.27	(-) 757.40	781.13
6 वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	42,130.45	9.57	42,140.02	40,438.32	(-) 1,701.70	18,321.83
7 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,069.12	120.00	1,189.12	397.88	(-) 791.24	791.42
8 लोक ऋण	64,044.20	0.00	64,044.20	57,540.25	(-) 6,503.95	0.00
9 आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	8,176.41	1,000.04	9,176.45	5,877.68	(-) 3,298.77	3,293.77
11 सहभागिता/नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	17,307.67	389.84	17,697.51	15,086.28	(-) 2,611.23	3,115.76
12 शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	23,057.78	463.22	23,521.00	20,977.86	(-) 2,543.14	2,678.51
13 खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	893.58	271.49	1,165.07	674.63	(-) 490.44	602.37
14 स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	10,437.80	1,087.50	11,525.30	9,426.68	(-) 2,098.62	2,400.28
15 श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	1,444.52	30.00	1,474.52	1,024.24	(-) 450.28	449.02
16 सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण	12,111.49	1,121.68	13,233.17	12,710.19	(-) 522.98	527.06
17 लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	10,607.78	810.31	11,418.09	9,111.18	(-) 2,306.91	3,131.20
18 सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री	611.38	0.00	611.38	494.85	(-) 116.53	137.53
19 ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	14,224.65	1,409.46	15,634.11	14,886.67	(-) 747.44	2,000.89
20 नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	18,074.15	1,203.22	19,277.37	13,766.85	(-) 5,510.52	5,993.39
कुल	2,37,713.87	8,942.49	2,46,656.36	2,14,724.76	(-) 31,931.60	46,142.41

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 67)

प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक की निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
अनुदान संख्या 4- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/उत्पाद शुल्क एवं कराधान							
1	2043-101-51 2043-101-51 संग्रहण प्रभार	0.70	0.00	30.44	31.14	0.00	(-) 31.14
2	2053-093-99 2053-093-99 जिला स्थापना	315.38	0.00	(-) 94.46	220.92	264.45	43.53
3	2053-094-99 उप-मंडल स्थापना	36.59	0.00	(-) 12.92	23.67	36.87	13.20
4	2053-101-99 स्थापना	21.92	230.00	(-) 37.50	214.42	217.77	3.35
5	2245-02-101-97 बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति	160.00	0.00	(-) 153.68	6.32	47.08	40.76
6	2245-05-101-99 आरक्षित निधि एवं जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	758.00	0.00	(-) 404.25	353.75	606.40	252.65
7	4059-60-051-97 आबकारी एवं कराधान	200.00	0.00	(-) 158.14	41.86	51.96	10.10
8	4216-01-116-98 जिला प्रशासन	50.00	0.00	(-) 10.29	39.71	42.82	3.11
अनुदान संख्या 5- गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओ/विधिक सेवा प्राधिकरण)							
9	2014-114-99-98 स्थापना व्यय	72.70	0.00	(-) 17.53	55.17	58.93	3.76
10	4059-60-051-96 जेल	150.00	130.00	(-) 39.84	240.16	255.92	15.76
अनुदान संख्या 6- वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)							
11	2049-01-101-99 ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	20,375.00	0.00	(-) 737.80	19,637.20	20,063.14	425.94
12	2049-04-101-99 ब्लॉक ऋण	38.00	0.00	(-) 37.95	0.05	95.06	95.01
अनुदान संख्या 10 - कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव							
13	2406-02-800-98 चिड़ियाघर एवं हिरण पार्क का विस्तार	8.00	0.00	(-) 4.51	3.49	7.29	3.80
14	2406-04-103-96 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	108.00	0.00	(-) 99.22	8.78	38.35	29.57
15	4403-101-99-99 राज्य सहायता	86.00	0.00	(-) 57.94	28.06	31.16	3.10
अनुदान संख्या 12 - शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास							
16	2202-01-111-99 सर्व शिक्षा अभियान	550.00	115.80	(-) 187.70	478.10	593.88	115.78
17	2202-01-793-99 सर्व शिक्षा अभियान	140.00	35.65	(-) 29.62	146.03	181.68	35.65
18	2202-02-109-86 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	500.00	91.13	(-) 255.58	335.55	426.68	91.13
19	2202-02-793-98 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	89.24	24.37	(-) 24.41	89.20	113.57	24.37
20	2202-03-103-99 संस्थान	972.78	0.00	3.76	976.54	969.85	(-) 6.69
21	2235-02-102-92 एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी)	780.00	15.00	186.43	981.43	774.79	(-) 206.64
22	4235-02-102-99-98 राज्य का अंशदान	35.00	3.00	(-) 37.94	0.06	9.98	9.92
अनुदान संख्या 13 - खेल/विपसत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)							
23	2205-103-96 प्राचीन स्मारकों के स्थलों का संरक्षण/परिरक्षण विकास	20.00	0.00	(-) 13.19	6.81	13.03	6.22
24	4202-03-102-99 खेल अवसंरचना योजना	80.00	0.00	(-) 22.16	57.84	63.76	5.92
25	4202-04-106-99 भवन (पुरातत्व)	15.00	241.14	(-) 214.26	41.88	137.39	95.51

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
अनुदान संख्या 14 - स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन							
26	2210-01-110-49 शहरी अस्पतालों एवं औषधालयों का सुदृढीकरण	1,202.91	0.00	(-) 15.51	1,187.40	1,220.04	32.64
27	2210-01-110-96 अस्पताल के सुधार एवं विस्तार का नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के सुधार एवं विस्तार के रूप में किया गया है	150.00	0.00	(-) 47.60	102.40	112.99	10.59
28	2210-03-103-84 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायता अनुदान	892.00	0.00	(-) 176.20	715.80	721.27	5.47
29	4210-01-110-99 भवन का नाम बदलकर अवसंचना/प्रशासनिक व्यय कर दिया गया है	300.00	201.59	(-) 223.56	278.03	478.55	200.52
30	4210-03-105-88 महेंद्रगढ़ (नारनौल में) स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	130.00	0.00	(-) 110.00	20.00	65.70	45.70
अनुदान संख्या 17 - लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन							
31	3054-04-337-98 ग्रामीण सड़कें	400.00	310.00	102.94	812.94	841.23	28.29
32	3055-201-98 बी-संचालन	2,312.81	57.70	(-) 123.01	2,247.50	2,278.77	31.27
33	5054-03-337-87 सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन	150.00	0.00	(-) 36.64	113.36	110.00	(-) 3.36
34	5054-03-337-88-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	350.00	0.00	50.74	400.74	406.08	5.34
35	5054-04-101-84-99 राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	200.00	0.00	(-) 34.85	165.15	171.09	5.94
36	5054-04-337-98-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण	1,200.00	0.00	(-) 68.41	1,131.59	1,152.25	20.66
37	5054-04-337-99-98 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण	130.00	0.00	(-) 56.79	73.21	78.30	5.09
38	5054-04-337-99-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	70.00	0.00	(-) 6.00	64.00	58.49	(-) 5.51
39	5055-050-78 विनियामक लिंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण	200.00	0.00	(-) 180.79	19.21	116.84	97.63
अनुदान संख्या 18 - सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री							
40	2220-60-003-99 अनुसंधान एवं संदर्भ अनुभाग	50.00	0.00	(-) 30.90	19.10	28.88	9.78
41	2220-60-101-9 विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार	30.00	0.00	5.73	35.73	44.97	9.24
अनुदान संख्या 19 - ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन							
42	2705-188-99 सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए संसाधनों का संग्रहण	100.00	0.00	(-) 81.39	18.61	25.00	6.39
43	4700-13-789-99 नहर नेटवर्क का पुनर्वास राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में सुधार	150.00	0.00	139.88	289.88	107.84	(-) 182.04
44	4701-07-800-98 नाबाई-नहर का निर्माण	200.00	0.00	(-) 180.19	19.81	214.92	195.11
अनुदान संख्या 20 - नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी							
45	2215-01-101-99-97 नहर जल प्रभार	3.00	30.00	(-) 24.18	8.82	14.26	5.44
46	2215-01-101-99-98 रखरखाव प्रभार	100.00	20.00	42.96	162.96	169.77	6.81
47	2215-01-102-97 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	704.60	160.00	(-) 613.83	250.77	893.28	642.51
48	4215-01-101-93 जल आपूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	656.00	0.00	(-) 397.87	258.13	172.09	(-) 86.04
49	4215-01-101-99-99 जल आपूर्ति में वृद्धि	60.00	50.00	(-) 21.03	88.97	83.97	(-) 5.00
50	4215-01-102-93-90 ग्राम में पेयजल आपूर्ति को अद्यतन करने के लिए महाग्राम योजना	25.00	10.00	7.71	42.71	31.94	(-) 10.77
51	4215-01-102-93-94 जल आपूर्ति में वृद्धि	160.00	150.00	207.33	517.33	608.16	90.83
52	4215-01-102-98-99 एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केंद्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) -कवरेज कर दिया गया है	526.00	0.00	(-) 263.00	263.00	213.27	(-) 49.73
53	4215-01-789-96 ग्रामीण जल आपूर्ति में वृद्धि के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	40.00	50.00	36.10	126.10	147.07	20.97
54	4215-01-789-97 नाबाई के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	50.00	0.00	22.04	72.04	87.45	15.41
55	4215-02-101-89 सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	144.00	0.00	(-) 72.55	71.45	53.59	(-) 17.86
56	4711-01-201-98 शहरी स्टार्माटर ड्रेनेज कार्य	40.00	20.00	64.85	124.85	133.96	9.11

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 68)

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण)	बजट	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती, जो कि अत्यधिक व्यय के कारण की गई						
1	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99-51)	665.80	(-) 187.70	478.10	593.89	115.79
2	सरकारी माध्यमिक विद्यालय (109) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	591.13	(-) 255.58	335.55	426.69	91.14
3	अनुसूचित जाति घटक योजना (793) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (2202-02-793-98-51)	113.61	(-) 24.41	89.20	113.57	24.37
4	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99-51)	175.65	(-) 29.62	146.03	181.68	35.65
5	माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99-51)	150.00	(-) 57.70	92.30	93.70	1.40
6	कॉलेज भवन (4202-01-203-99-51)	50.00	(-) 50.00	0.00	47.34	47.34
7	पॉलिटेक्निक भवन (4202-02-104-99-51)	20.00	(-) 20.00	0.00	12.56	12.56
8	भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज) (4202-02-105-99-51)	5.00	(-) 5.00	0.00	0.15	0.15
9	पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99-51)	7.00	(-) 7.00	0.00	1.96	1.96
10	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का अंशदान (4235-02-102-99-98)	38.00	(-) 37.94	0.06	9.99	9.93
11	युवा लड़कियों/महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए घर-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99-51)	31.00	(-) 30.81	0.19	0.32	0.13
12	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण (4235-02-789-99-51)	8.00	(-) 8.00	0.00	1.04	1.04
प्रावधान में वृद्धि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई						
1	संस्थान (2202-03-103-99-51)	972.78	3.76	976.54	969.85	(-) 6.69
2	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) (2235-02-102-92-51)	795.00	186.43	981.43	774.79	(-) 206.64

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 68)

अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण)	बजट	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती, जो कि अतिरिक्त व्यय के कारण की गई						
1	केंद्रीय कार्यालयों के अंतर्गत स्थापना व्यय (पी-01-3055-001-99-98)	64.59	(-) 12.04	52.55	52.71	0.16
2	एफ-हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत अन्य व्यय (पी-01-3055-201-96)	125.50	(-) 125.50	0.00	125.50	125.50
3	सी-हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव (पी-01-3055-201-97)	255.69	(-) 54.18	201.51	204.28	2.77
4	हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत बी-परिचालन (पी-01-3055-201-98)	2,370.51	(-) 123.01	2,247.50	2,278.77	31.27
5	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-01-5054-04-101-84-99)	200.00	(-) 34.85	165.15	171.09	5.94
6	पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-01-5054-04-337-49-99)	138.00	(-) 137.62	0.38	0.85	0.47
7	पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत नाबाई योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-01-5054-04-337-98-97)	170.00	(-) 63.98	106.02	107.76	1.74
8	ग्रामीण सड़क के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-01-5054-04-337-98-99)	1,200.00	(-) 68.41	1,131.59	1,152.25	20.66
9	जिला सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ा करना (पी-01-5054-04-337-99-98)	130.00	(-) 56.79	73.21	78.30	5.09
10	अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत राज्य का अंशदान (पी-01-5054-04-789-99-99)	70.00	(-) 57.01	12.99	13.86	0.87
11	अन्य व्यय के अंतर्गत हरियाणा राज्य में नई रेल लाइनों का निर्माण (पी-01-5054-80-800-98)	50.00	(-) 49.26	0.74	1.27	0.53
12	अन्य व्यय के अंतर्गत अनुसंधान (पी-01-5054-80-800-99)	80.00	(-) 9.83	70.17	72.88	2.71
13	भूमि एवं भवन के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-050-78)	200.00	(-) 180.79	19.21	116.40	97.19
	कुल	5,054.29	(-) 973.27	4,081.02	4,375.92	294.90
पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती अनावश्यक सिद्ध हुई						
1	राज्य राजमार्गों के अंतर्गत सड़क निर्माण (पी-01-3054-03-337-51)	90.00	(-) 20.67	69.33	67.76	(-) 1.57
2	सड़क कार्यों के अंतर्गत सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पी-01-5054-03-337-87)	150.00	(-) 36.64	113.36	110.00	(-) 3.36
3	गुरुग्राम एवं नूंह जिले में सड़क कार्यों के अंतर्गत किलोमीटर 0 से 11.50 मीटर तक (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढीकरण एवं आईपीबी (पी-01-5054-04-337-48-99)	9.19	(-) 4.47	4.72	4.66	(-) 0.06
4	जिला सड़कों के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार (पी-01-5054-04-337-99-99)	70.00	(-) 6.00	64.00	58.49	(-) 5.51
5	अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबाई का अंशदान (पी-01-5054-04-789-99-98)	55.00	(-) 20.02	34.98	32.86	(-) 2.12

क्र. सं.	योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण)	बजट	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
	कुल	374.19	(-) 87.80	286.39	273.77	(-) 12.62
	प्रावधान में वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई					
1	सड़क कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें (पी-01-3054-04-337-98)	710.00	102.94	812.94	841.23	28.29
2	हरियाणा राज्य में पुलों के निर्माण के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-01-5054-03-101-81-99)	50.00	41.48	91.48	93.85	2.37
3	हरियाणा राज्य में सड़कों के निर्माण के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार (पी-01-5054-03-337-88-99)	350.00	50.74	400.74	406.08	5.34
	कुल	1,110.00	195.16	1,305.16	1,341.16	36.00

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 68)

2022-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

क्र.सं.	अनुदान का नाम	बचत (₹ करोड़ में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
	राजस्व दत्तमत			
1.	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	353.66	575.31	484.00
2.	4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	607.29	1,337.03	539.74
3.	5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	1,471.27	570.23	575.71
4.	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	689.37	839.06	574.56
5.	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	1,418.12	2,832.57	2,310.57
6.	11-सहकारी/नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1,036.60	269.30	815.71
7.	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	3,049.17	3,453.04	1,921.73
8.	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	185.00	166.68	206.75
9.	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	1,057.42	618.63	1,476.94
10.	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	826.20	796.07	265.77
11.	16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण	957.29	979.53	481.37
12.	17- लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	1,035.69	1,341.72	373.19
13.	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	530.00	2,041.22	250.36
14.	20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2,480.46	4,463.34	4,537.56
	राजस्व भारित			
15.	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	1,066.91	644.94	922.46
	पूँजीगत दत्तमत			
16.	5- गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	150.05	182.51	153.36
17.	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	325.05	220.28	204.68
18.	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	251.89	740.24	791.24
19.	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	646.65	1,165.09	987.09
20.	11-सहकारी/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	5,410.49	2,495.59	1,795.48
21.	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	872.92	676.60	621.41
22.	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	533.90	839.71	621.54
23.	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	36.01	267.75	184.51
24.	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	503.68	1,516.40	1,926.55
25.	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	2,132.29	1,315.68	488.08
26.	20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	7,070.00	3,638.50	972.95

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)

2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग प्रतिशत में
	उपयोग की सीमा 30 से 50 प्रतिशत				
1	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,189.12	397.88	(-) 791.24	33
	कुल	1,189.12	397.88	(-) 791.24	
	उपयोग की सीमा 50 से 70 प्रतिशत				
1	1-विधान सभा	148.89	81.65	(-) 67.24	55
2	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,465.46	890.32	(-) 575.14	61
3	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	9,176.45	5,877.68	(-) 3,298.77	64
4	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	1,165.07	674.63	(-) 490.44	58
5	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	1,474.52	1,024.24	(-) 450.28	69
	कुल	13,430.39	8,548.52	(-) 4,881.87	
	उपयोग की सीमा 70 से 90 प्रतिशत				
1	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	224.81	200.64	(-) 24.17	89
2	4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	3,604.22	2,790.31	(-) 813.91	77
3	11-सहकारी/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	17,697.51	15,086.28	(-) 2,611.23	85
4	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	23,521.00	20,977.86	(-) 2,543.14	89
5	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	11,525.30	9,426.68	(-) 2,098.62	82
6	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	11,418.09	9,111.18	(-) 2,306.91	80
7	18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री	611.38	494.85	(-) 116.53	81
8	20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	19,277.37	13,766.85	(-) 5,510.52	71
	कुल	87,879.68	71,854.65	(-) 16,025.03	
	उपयोग की सीमा 90 से 100 प्रतिशत				
1	5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	9,105.67	8,348.27	(-) 757.40	92
2	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	42,140.02	40,438.32	(-) 1,701.70	96
3	8-लोक ऋण	64,044.20	57,540.25	(-) 6,503.95	90
4	16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण	13,233.17	12,710.19	(-) 522.98	96
5	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	15,634.11	14,886.67	(-) 747.44	95
	कुल	1,44,157.17	1,33,923.70	(-) 10,233.47	

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)

बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	राशि अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व दत्तमत							
1.	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	6,115.43	1,000.02	7,115.45	4,804.88	(-) 2,310.57	(-) 8.60
2.	11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1,994.06	389.84	2,383.90	1,568.19	(-) 815.71	(-) 0.56
राजस्व भारित							
3	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	0.25	0	0.25	0.11	(-) 0.14	(-) 0.14
पूंजीगत दत्तमत							
4	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	80.11	0	80.11	6.18	(-) 73.93	(-) 0.04
5	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	265.78	0	265.78	81.27	(-) 184.51	(-) 1.63
6	20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	3,679.10	889	4,568.10	3,595.15	(-) 972.95	(-) 161.77
पूंजीगत भारित							
7	8-लोक ऋण	64,044.20	0	64,044.20	57,540.25	-6,503.95	(-) 6,503.95
	कुल	76,178.93	2,278.86	78,457.79	67,596.03	(-) 10,861.76	(-) 6,676.69

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)

वास्तविक बचत के सापेक्ष अनुदान-वार अभ्यर्पित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक	बचत	31 मार्च 2025 तक अभ्यर्पित
1.	1-विधान सभा	148.89	0.00	148.89	81.65	67.24	68.08
2.	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद्	209.81	15.00	224.81	200.64	24.17	25.25
3.	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,400.80	64.66	1,465.46	890.33	575.13	582.71
4.	4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	3,324.97	279.25	3,604.22	2,790.31	813.91	1,242.21
5.	5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	8,438.42	667.25	9,105.67	8,348.27	757.40	781.13
6.	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	42,130.45	9.57	42,140.02	40,438.32	1,701.70	18,321.83
7.	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,069.12	120.00	1,189.12	397.88	791.24	791.42
8.	8-लोक ऋण	64,044.20	0.00	64,044.20	57,540.25	6,503.95	0.00
9.	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	8,176.41	1,000.04	9,176.45	5,877.68	3,298.77	3,293.77
10.	11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	17,307.67	389.84	17,697.51	15,086.28	2,611.23	3,115.76
11.	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	23,057.78	463.22	23,521.00	20,977.86	2,543.14	2,678.51
12.	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	893.58	271.49	1,165.07	674.63	490.44	602.37
13.	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	10,437.80	1,087.50	11,525.30	9,426.68	2,098.62	2,400.28
14.	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले)	1,444.52	30.00	1,474.52	1,024.24	450.28	449.02
15.	16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण	12,111.49	1,121.68	13,233.17	12,710.19	522.98	527.06
16.	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	10,607.78	810.31	11,418.09	9,111.18	2,306.91	3,131.20
17.	18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री	611.38	0.00	611.38	494.85	116.53	137.53
18.	19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	14,224.65	1,409.46	15,634.11	14,886.67	747.44	2,000.89
19.	20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी	18,074.15	1,203.22	19,277.37	13,766.85	5,510.52	5,993.39
		2,37,713.87	8,942.49	2,46,656.36	2,14,724.76	31,931.60	46,142.41

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 70)

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
	शिक्षा विभाग				
1.	11 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन (2202-01-101-87-51)	2022-23	2.00	0.26	1.74 (87)
		2023-24	4.00	0.83	3.17 (79)
		2024-25	3.00	1.71	1.29 (43)
2.	पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन एवं पठन सामग्री तैयार करना (2202-01-108-99-51)	2022-23	1.10	0.85	0.25 (23)
		2023-24	1.07	0.76	0.31 (29)
		2024-25	1.08	0.70	0.38 (35)
3.	राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना (2202-01-109-83-51)	2022-23	1.60	0.00	1.60 (100)
		2023-24	1.60	0.00	1.60 (100)
		2024-25	1.60	0.41	1.19 (74)
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93-51)	2022-23	270.00	198.43	71.57 (27)
		2023-24	212.00	80.05	131.95 (62)
		2024-25	170.00	95.33	74.67 (44)
5.	स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99)	2022-23	20.00	10.62	9.38 (47)
		2023-24	10.00	4.54	5.46 (55)
		2024-25	7.00	4.20	2.80 (40)
6.	मुख्यालय स्थापना (मुख्यालय) (2202-02-001-99-99)	2022-23	65.58	51.00	14.58 (22)
		2023-24	64.58	53.77	10.81 (17)
		2024-25	64.43	51.71	12.72 (20)
7.	राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम की स्थापना (2202-02-004-99-51)	2022-23	108.33	16.61	91.72 (85)
		2023-24	33.47	18.97	14.50 (43)
		2024-25	28.51	16.70	11.81 (41)
8.	राजकीय विद्यालयों में परिवर्धन एवं परिवर्तन (2202-02-053-99-51)	2022-23	100.00	75.04	24.96 (25)
		2023-24	95.00	62.98	32.02 (34)
		2024-25	105.00	9.94	95.06 (91)
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-92-51)	2022-23	87.41	50.00	37.41 (43)
		2023-24	100.00	29.80	70.20 (70)
		2024-25	60.00	21.11	38.89 (65)
10.	छात्रवृत्ति (माध्यमिक विद्यालय) (2202-02-107-99-51)	2022-23	1.60	0.91	0.69 (43)
		2023-24	1.60	1.00	0.60 (38)
		2024-25	1.60	0.97	0.63 (39)
11.	हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति, माध्यमिक चरण (2202-02-107-84-51)	2022-23	2.40	0.00	2.40 (100)
		2023-24	2.40	0.35	2.05 (85)
		2024-25	1.45	0.45	1.00 (69)
12.	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-02-110-98-51)	2022-23	105.00	5.35	99.65 (95)
		2023-24	10.00	2.01	7.99 (80)
		2024-25	3.00	0.00	3.00 (100)
13.	कक्षा 9वीं एवं 11वीं (2202-02-789-99-51) में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	2022-23	6.00	4.00	2.00 (33)
		2023-24	4.00	0.00	4.00 (100)
		2024-25	10.00	1.00	9.00 (90)
14.	स्वच्छ प्रांगण (2202-02-800-97-99)	2022-23	7.00	3.99	3.01 (43)
		2023-24	4.00	2.26	1.74 (44)
		2024-25	4.00	0.12	3.88 (97)

क्र.सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
15.	सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) (2202-02-800-97-97)	2022-23	20.00	8.91	11.09 (55)
		2023-24	10.00	5.74	4.26 (43)
		2024-25	7.00	4.12	2.88 (41)
16.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (2202-03-103-97-51)	2022-23	24.00	0.00	24.00 (100)
		2023-24	1.00	0.00	1.00 (100)
		2024-25	60.00	0.00	60.00 (100)
17.	राजकीय महाविद्यालयों और मुख्यालय में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं सहायक कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास (2202-03-105-92-51)	2022-23	3.00	2.16	0.84 (28)
		2023-24	3.50	0.91	2.59 (74)
		2024-25	3.50	2.16	1.34 (38)
18.	साक्षर भारत योजना (2202-04-200-97-51)	2022-23	10.00	0.00	10.00 (100)
		2023-24	10.00	2.84	7.16 (72)
		2024-25	10.00	0.00	10.00 (100)
19.	प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाफ) (2203-51-001-93-51)	2022-23	16.54	10.69	5.85 (35)
		2023-24	13.47	9.67	3.80 (28)
		2024-25	11.74	9.67	2.07 (18)
20.	राज्य में नए राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना (2203-51-105-89-51)	2022-23	2.00	0.00	2.00 (100)
		2023-24	2.00	0.00	2.00 (100)
		2024-25	2.00	0.00	2.00 (100)
21.	विद्यमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण (2203-51-105-82-51)	2022-23	1.00	0.00	1.00 (100)
		2023-24	1.00	0.00	1.00 (100)
		2024-25	1.00	0.00	1.00 (100)
22.	पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (2203-51-105-55)	2022-23	1.20	0.00	1.20 (100)
		2023-24	1.20	0.00	1.20 (100)
		2024-25	1.20	0.00	1.20 (100)
23.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रेवाड़ी की स्थापना (2203-51-12-94-51)	2022-23	3.50	2.42	1.08 (31)
		2023-24	4.70	2.31	2.39 (51)
		2024-25	8.00	4.86	3.14 (39)
24.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना (2203-51-112-92-51)	2022-23	10.00	7.75	2.25 (23)
		2023-24	10.00	0.00	10.00 (100)
		2024-25	10.00	0.00	10.00 (100)
25.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-51-12-91-51)	2022-23	7.00	5.80	1.20 (17)
		2023-24	7.00	5.80	1.20 (17)
		2024-25	7.00	3.50	3.50 (50)
26.	नाबार्ड के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-202-97-51)	2022-23	150.00	0.00	150.00 (100)
		2023-24	45.00	0.00	45.00 (100)
		2024-25	40.00	0.00	40.00 (100)
27.	पॉलिटेक्निक भवन (4202-02-104-99-51)	2022-23	15.00	12.70	2.30 (15)
		2023-24	20.00	14.10	5.90 (30)
		2024-25	20.00	12.56	7.44 (37)
28.	पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99-51)	2022-23	1.00	0.00	1.00 (100)
		2023-24	10.00	1.01	8.99 (90)
		2024-25	7.00	1.96	5.04 (72)
महिला एवं बाल विकास विभाग					
1.	अपनी बेटियां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है (2235-02-102-78-51)	2022-23	160.00	86.10	73.90 (46)
		2023-24	130.00	70.67	59.33 (46)
		2024-25	95.00	77.31	17.69 (19)
2.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना (2235-02-102-76-51)	2022-23	5.00	2.34	2.66 (53)
		2023-24	5.00	2.63	2.37 (47)
		2024-25	3.00	1.19	1.81 (60)

क्र.सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
3.	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रेच योजना कर दिया गया है (2235-02-102-69-51)	2022-23	30.00	7.48	22.52 (75)
		2023-24	20.00	0.00	20.00 (100)
		2024-25	20.00	0.00	20.00 (100)
4.	लिंग संवेदीकरण (2235-02-103-79-51)	2022-23	40.00	1.12	38.88 (97)
		2023-24	30.00	0.09	29.91 (99)
		2024-25	20.00	13.60	6.40 (32)
5.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (प्रकोष्ठ की स्थापना) (2235-02-103-76-51)	2022-23	2.50	1.79	0.71 (28)
		2023-24	2.50	1.58	0.92 (37)
		2024-25	2.20	1.80	0.40 (18)
6.	अपनी बेटियां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटे हमारी बेटे (लाडली) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-99-51)	2022-23	160.00	83.41	76.59 (48)
		2023-24	140.00	64.46	75.54 (54)
		2024-25	120.00	61.77	58.23 (49)
7.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-98-51)	2022-23	2.50	0.96	1.54 (62)
		2023-24	2.50	1.10	1.40 (56)
		2024-25	2.00	0.51	1.49 (75)
8.	अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-90-51)	2022-23	60.00	25.68	34.32 (57)
		2023-24	60.00	39.80	20.20 (34)
		2024-25	60.00	26.01	33.99 (57)
9.	जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/संप्रेक्षण गृह (2235-02-800-81-98)	2022-23	3.62	3.18	0.44 (12)
		2023-24	4.15	3.46	0.69 (17)
		2024-25	4.72	2.71	2.01 (43)
10.	पंजिरी प्लांट घरौंडा (2236-02-101-97-51)	2022-23	1.99	1.73	0.26 (13)
		2023-24	2.34	1.53	0.81 (35)
		2024-25	2.05	1.51	0.54 (26)
11.	मातृ एवं बाल अल्प-पोषण के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87-51)	2022-23	200.00	96.54	103.46 (52)
		2023-24	150.00	128.29	21.71 (14)
		2024-25	190.00	150.63	39.37 (20)
12.	पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95-51)	2022-23	120.00	89.01	30.99 (26)
		2023-24	110.00	81.67	28.33 (26)
		2024-25	195.78	170.50	25.28 (13)
13.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- नाबार्ड अंशदान (4235-02-102-99-99)	2022-23	20.00	1.40	18.60 (93)
		2023-24	1.00	0.00	1.00 (100)
		2024-25	1.00	0.00	1.00 (100)
14.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य अंशदान (4235-02-102-99-98)	2022-23	50.00	0.39	49.61 (99)
		2023-24	50.00	7.74	42.26 (85)
		2024-25	38.00	9.99	28.01 (74)
15.	जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/संप्रेक्षण गृह (4235-02-102-97-99)	2022-23	50.00	19.76	30.24 (60)
		2023-24	50.00	14.15	35.85 (72)
		2024-25	40.00	14.06	25.94 (65)
16.	ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु सुरक्षा गृहों का निर्माण (4235-02-103-95-51)	2022-23	5.00	0.00	5.00 (100)
		2023-24	5.00	0.00	5.00 (100)
		2024-25	3.00	0.00	3.00 (100)
17.	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण (4235-02-789-99-51)	2022-23	10.00	0.00	10.00 (100)
		2023-24	10.00	1.59	8.41 (84)
		2024-25	8.00	1.04	6.96 (87)

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 70)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम (विभाग)	स्वीकृति आदेश संख्या	गलत वर्गीकृत राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य शीर्ष	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास (शिक्षा विभाग)	68	877.60	6202	लेखापरीक्षा अनुदान के रूप में दर्ज किया गया
2	15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) (तकनीकी शिक्षा)	-	50.00	6202	
3	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग)	11	811.20	6210	
4	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (फसल पालन विभाग)	02	41.23	6401	
5	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (पशुपालन विभाग)	05	150.06	6403	
6	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (कृषि विभाग)	12	636.51	6416	
	कुल		2,566.60		

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.6; पृष्ठ 72)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से बजटीय प्रावधान को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान
1	1	4059-01-051-57 हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि की खरीद/भवन निर्माण	50.00
2	3	4059-01-051-69 राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	10.00
3	4	2217-80-192-98 अग्निशमन सेवाओं का सुदृढीकरण	250.00
4	4	4059-01-051-64 अग्निशमन सेवा निदेशालय (पंचकुला), हरियाणा के लिए भूमि की खरीद एवं भवन निर्माण	30.00
5	5	2014-105-92 जघन्य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय प्रदान करना - केंद्रीय वित्त आयोग	60.00
6	5	2014-105-95 जिला एवं सत्र न्यायालय-फास्ट ट्रैक कोर्ट	14.00
7	5	2055-115-99 उपकरण खरीद का नाम बदलकर सीसीटीएनएस कर दिया गया है	20.00
8	5	4059-01-201-99 कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)	75.00
9	6	2049-04-109-99 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज	27.00
10	7	6401-190-97 भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के लिए एचआईएचएमसी, पंचकुला को ऋण प्रदान करने के लिए योजना	140.00
11	7	6401-190-99 हरियाणा कृषि उद्योग निगम को ऋण के लिए योजना	35.00
12	7	6501-190-99 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण	41.11
13	7	6860-04-101-95 सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सह-उत्पादन और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना	200.00
14	7	7610-201-95 न्यायिक अधिकारियों को गृह ऋण अग्रिम	100.00
15	7	7610-202-96 न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट कार ऋण अग्रिम	20.00
16	10	2401-109-77 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	39.60
17	10	2401-109-77-98 तिलहन एवं पाम तेल	10.80
18	10	2401-109-78 कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन	100.00
19	10	2401-789-85 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	11.00
20	10	2401-789-89 किसानों एवं अनुसूचित जाति के किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए योजना	20.05
21	10	2401-789-90 अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता	10.00
22	10	2401-789-97 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना	20.00
23	10	4401-113-95 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसंरचना एवं गतिविधियां	424.00
24	11	4425-107-97 हरको बैंक की शेयर पूंजीगत में सरकार का अंशदान	50.00
25	11	4425-107-99 केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजीगत	50.00
26	12	2202-01-101-95 सुविधाओं का विस्तारण कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक)	20.00
27	12	2202-01-199-99 पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग) भारत योजना	64.65
28	12	2202-04-200-97 साक्षर भारत योजना/इसका नाम बदलकर पढ़ना लिखना अभियान कर दिया गया जिसका नाम बदलकर नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) कर दिया गया है	10.00
29	12	2235-02-102-73 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया है	55.00
30	12	2236-80-102-99 पोषण अभियान के लिए योजना	53.42
31	12	5425-600-98 अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना- जिसका नाम बदलकर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अंबाला की स्थापना कर दिया गया है	25.00
32	12	5425-600-99 सोनीपत में विज्ञान सिटी की स्थापना- जिसका नाम बदलकर हरियाणा की राष्ट्रीय विज्ञान सिटी की स्थापना कर दिया गया है	70.00
33	13	2204-190-99 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत	50.00
34	13	2205-105-86 केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन	30.00
35	13	5452-80-104-99 स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में वन्य जीव पर्यटन का विकास	50.00
36	13	6202-01-203-98 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत को ऋण	50.00
37	14	2210-01-110-43 एनपीसीडीसी (कैंसर एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) एवं एनपीसीई (वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन	15.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम एवं वर्गीकरण	बजट प्रावधान
38	15	2230-03-003-61 औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढीकरण (एसटीआरवीई)	20.00
39	15	2230-03-190-96 ठेकेदार सक्षम युवा योजना	30.00
40	15	2230-03-190-97 गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना	10.00
41	16	2235-60-102-96 निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता	21.20
42	16	2235-60-200-78 सैनिक कल्याण परिसरों, युद्ध स्मारकों एवं संबद्ध भवनों/परियोजनाओं का निर्माण	11.40
43	16	4235-02-101-93 निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद	20.00
44	16	4235-02-104-99 वृद्धजन एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम रेवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है	10.00
45	17	2216-02-192-98 मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना	127.05
46	17	2216-02-789-99 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एससी)	100.00
47	17	5054-04-337-47 राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण	10.00
48	18	4220-60-101-97 पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित भूखंड का भुगतान	10.00
49	18	4220-60-101-99 स्वर्णीय श्री गुलजारी लाल नंदा की स्मृति में कुरुक्षेत्र में स्मारक का निर्माण	6.00
50	19	2705-188-97 पीडीएमसी-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र को कवर करने के लिए सभी श्रेणियों के किसानों को अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी में राज्य का हिस्सा	150.00
51	19	2852-07-202-87 हरियाणा स्टार्टअप, डेटा सेंटर एवं आईटी एवं ईएसडीएम नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन	67.80
52	19	4701-06-800-95 विद्यमान नहर नेटवर्क का पुनर्वास, जलधाराओं की रीमॉडलिंग एवं पुनर्वास	87.50
53	19	4851-102-92 लघु उद्योग क्लस्टर विकास के लिए योजना	15.00
54	19	4851-102-95 फील्ड कार्यालयों/निदेशालय कार्यालय परिसर का आधुनिकीकरण	10.00
55	20	2217-80-190-99 फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.00
56	20	2217-80-192-90 किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे के लिए योजना	10.00
57	20	2217-80-789-90 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	13.75
58	20	2217-80-789-94 दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान	30.00
59	20	2501-06-101-96 स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम एसवीईपी)	10.00
60	20	2505-01-702-88-99 स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना-सामान्य योजना	50.00
61	20	2505-01-789-99 स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	10.00
62	20	2515-102-90 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता	30.00
63	20	2515-102-96-99 स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना- सामान्य योजना	10.00
64	20	2515-106-96 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास के लिए योजना	60.00
65	20	2515-198-96 राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास	848.00
66	20	2515-789-91 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए योजना	10.00
67	20	2515-789-99 अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई)	10.00
68	20	4215-02-101-88 राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण	50.00
		कुल	4,248.33

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 75)

वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ तथा कुल व्यय के 30 प्रतिशत और उससे अधिक है

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2025 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	1-विधान सभा	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	81.66	32.49	39.79	14.79	18.11
2.	2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	2013-मंत्रिपरिषद	181.32	93.36	51.49	68.37	37.71
3.	3-सामान्य प्रशासन/युनाव	2852-उद्योग	115.38	51.94	45.02	0.62	0.54
4.		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	96.42	36.40	37.75	13.66	14.17
5.	4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान	2053-जिला प्रशासन	520.92	175.87	33.76	52.48	10.07
6.		2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण	79.67	68.15	85.54	41.16	51.66
7.		2705-कमांड विकास क्षेत्र	25.21	25.21	100.00	25.21	100.00
8.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	42.82	14.49	33.84	11.38	26.58
9.	5-ग्रह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	2014-न्याय प्रशासन	1,202.60	492.29	40.94	283.47	23.57
10.		4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	25.97	15.97	61.49	0.79	3.04
11.		4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	255.92	149.79	58.53	0.83	0.32
12.		4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	104.76	37.64	35.93	5.27	5.03
13.		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36.96	14.04	37.99	3.17	8.58
14.	6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)	2075-विविध सामान्य सेवाएं	259.42	258.85	99.78	153.85	59.31
15.		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	259.32	214.44	82.69	157.68	60.81
16.	10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	2405-मत्स्य पालन	83.55	49.76	59.56	36.26	43.40
17.		4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	193.10	192.42	99.65	180.00	93.22
18.		4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	48.52	15.20	31.33	3.05	6.29
19.		2853-नॉन-फेरस माइनिंग एवं मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज	90.08	58.73	65.20	40.29	44.73
20.		2403-पशुपालन	1,055.54	352.39	33.38	117.43	11.13
21.	11-ग्रहभूमि/खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	2408-खादय भंडारण एवं गोदाम	969.95	314.68	32.44	203.17	20.95
22.	12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	222.96	140.61	63.07	81.54	36.57
23.		4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	61.73	42.15	68.28	38.58	62.50
24.		2235-पोषण	550.38	243.54	44.25	198.99	36.16
25.		3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.30	10.69	86.91	0.14	1.14

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2025 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
26.	13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	205.24	151.51	73.82	70.11	34.16
27.		3452-पर्यटन	45.61	24.52	53.76	15.06	33.02
28.	14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,339.49	501.13	37.41	357.88	26.72
29.		2211-परिवार कल्याण	323.15	123.72	38.29	79.81	24.70
30.	16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सेनिकों का कल्याण	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	553.07	281.22	50.85	98.19	17.75
31.		5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय (योजना)	2,309.89	1,340.13	58.02	914.46	39.59
32.	17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन	2216-आवास	435.74	378.97	86.97	367.60	84.36
33.		3054-सड़कें एवं पुल	1,639.94	738.38	45.02	715.05	43.60
34.	18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मृदा एवं लेखन सामग्री	4220-सूचना एवं प्रकाशन पर पूंजीगत परिव्यय	90.00	45.00	50.00	0.00	0.00
35.		2705-कमांड विकास क्षेत्र	375.29	116.70	31.10	101.70	27.10
36.	19-ऊर्जा विभाग (विजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,015.47	521.18	51.32	326.47	32.15
37.		2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	717.23	230.74	32.17	66.24	9.24
38.	20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2701-मध्यम सिंचाई	210.54	190.97	90.70	184.56	87.66
39.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	908.73	347.22	38.21	275.54	30.32
40.	21-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	1,016.14	449.95	44.28	375.64	36.97
41.		2700-मुख्य सिंचाई	1,803.26	683.43	37.90	424.73	23.55
42.	22-नदी एवं नदीकरणीय ऊर्जा	2810-नदी एवं नदीकरणीय ऊर्जा	1,265.60	575.96	45.51	362.44	28.64
43.		4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	1,956.60	853.40	43.62	530.89	27.13
44.	23-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,536.72	836.05	32.96	277.71	10.95
45.		2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	119.74	90.38	75.48	14.70	12.28
46.	कुल	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	831.96	407.48	48.98	407.48	48.98
			26,275.87	11,989.14	45.63	7,698.44	29.30

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 75)

व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)		
		कुल	अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में)	मार्च 2025 के दौरान (प्रतिशत में)
शिक्षा विभाग				
1.	शिक्षक प्रशिक्षण (105) ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-91-51)	2.87	2.87 (100)	0.79 (28)
2.	शिक्षक प्रशिक्षण (105) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-92-51)	21.11	19.68 (93)	13.83 (66)
3.	छात्रवृत्तियां (107), पुस्तक बैंक/पुस्तकालय (2202-02-107-83-51)	79.21	44.31 (56)	22.09 (28)
4.	छात्रवृत्ति (107), कक्षा IX-XII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87-51)	4.97	2.36 (47)	0.72 (14)
5.	छात्रवृत्ति (107), कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86-51)	29.57	22.11 (75)	14.62 (49)
6.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (109), प्रतिभा खोज योजना (2202-02-109-80-51)	17.95	6.13 (34)	2.33 (13)
7.	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलना (2202-02-109-85)	70.00	70.00 (100)	0.00 (0)
8.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (109) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	426.69	272.22 (64)	272.22 (64)
9.	अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता (199) पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना (2202-02-199-99-51)	80.78	80.78 (100)	63.21 (78)
10.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (789), पीएम श्री (पी.एम. स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना (2202-02-789-94-51)	19.99	19.99 (100)	10.24 (51)
11.	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (789) कक्षा 9 एवं 12 में सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-789-96-51)	69.70	29.67 (43)	29.67 (43)
12.	अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (793) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-793-98-51) (शेयर केंद्रीय योजना)	113.57	72.79 (64)	72.79 (64)
13.	अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (200), अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (2202-04-200-98-51)	2.95	2.69 (91)	1.61 (55)
14.	प्रशासनिक कर्मचारी - मुख्यालय कर्मचारी स्थापना (2202-03-001-99-99)	34.76	10.78 (31)	0.84 (2)
15.	संस्थान (2202-03-103-99-51)	969.85	296.00 (31)	84.59 (9)
16.	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रखरखाव (2202-01-053-96-51)	39.87	22.26 (56)	6.61 (17)
17.	कक्षा I-VIII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84-51)	47.75	33.10 (69)	0.00 (0)
18.	कक्षा I-VIII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85-51)	3.49	2.41 (69)	0.00 (0)
19.	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99-51)	593.89	400.14 (67)	400.14 (67)
20.	प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99-51)	437.66	230.79 (53)	118.81 (27)
21.	मध्याह्न भोजन विद्यालयों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (2202-01-793-98-51)	49.13	33.97 (59)	18.81 (38)
22.	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99-51)	181.68	123.19 (68)	123.19 (68)
23.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93-51)	95.33	76.67 (80)	10.35 (11)
24.	स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-201-99-51)	24.90	24.90 (100)	24.90 (100)
25.	माध्यमिक शिक्षा की पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए योजना (4202-01-202-95-51)	30.44	27.77 (91)	0.83 (3)
26.	माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99-51)	93.69	76.96 (82)	56.98 (61)
	कुल	3,541.80	2,004.54 (57)	1,350.17 (38)
महिला एवं बाल विकास विभाग				
1.	लिंग संवेदीकरण (2235-02-103-79-51)	13.60	12.64 (93)	2.55 (19)
2.	सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान, जिसमें बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी संगठन (जीओ) शामिल हैं (2235-02-103-99)	30.00	16.50 (55)	9.00 (30)
3.	मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता (2236-02-101-86-51)	12.65	4.64 (37)	2.55 (20)
4.	मातृ एवं बाल अल्प-पोषण के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87-51)	150.63	71.16 (47)	30.30 (20)
5.	प्रधानमंत्री मातृवृद्धा योजना (पीएमएमवीवाई) (2236-02-101-88-51)	46.77	45.15 (97)	45.15 (97)
6.	अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृवृद्धा योजना) (2236-02-789-96-51)	10.35	10.35 (100)	10.35 (100)
7.	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-789-98-51)	140.16	99.75 (71)	99.75 (71)
8.	जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन - रिमांड/संप्रवेशन गृह (4235-02-102-97-99)	14.06	13.47 (96)	13.47 (96)
9.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (4235-02-102-99-51)	36.32	22.31 (61)	22.31 (61)
10.	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - राज्य का अंशदान (4235-02-102-99-98)	9.98	5.42 (54)	2.43 (24)
36	कुल	464.52	301.39 (65)	237.86 (51)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 76)

व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)		
		कुल	अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में)	मार्च 2025 के दौरान (प्रतिशत में)
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)			
1	राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-99)	93.85	43.60 (46)	2.94 (3)
2	गुरुग्राम में पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर तक 2-लेन सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा निर्माण (5054-04-337-48-98)	8.22	4.84 (59)	4.84 (59)
3	गुरुग्राम एवं नूंह जिले में (एमईएस) पर किमी 0 से 11.50 मीटर तक चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर), सुदृढीकरण एवं आई.पी.बी. का कार्य (5054-04-337-48-99)	4.67	4.67 (100)	2.22 (48)
4	राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार- (5054-04-337-99-99)	58.49	21.61 (37)	2.55 (4)
5	अनुसंधान (5054-80-800-99)	72.88	49.12 (67)	16.41 (23)
	कुल	238.11	123.84 (52)	28.96 (12)
	परिवहन विभाग			
1	एफ-अन्य व्यय (3055-51-201-96)	125.50	125.50 (100)	125.50 (100)
2	हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (5055-51-050-78)	116.84	89.68 (77)	1.67 (1)
	कुल	242.34	215.18 (89)	127.17 (52)

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.1 (ii); पृष्ठ 80)

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना विवरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
शिक्षा विभाग				
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन का रखरखाव [पी-01-09-2202-01-053-96-51]	100.00	39.87	(-) 60.13 (60)
2	सुविधाओं का विस्तारण कक्षा I-V (पूर्णकालिक) [पी-01-09-2202-01-101-97-51]	7.00	0.60	(-) 6.40 (91)
3	सुविधाओं का विस्तारण कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) [पी-01-09-2202-01-101-95-51]	20.00	0.00	(-) 20.00 (100)
4	प्रधानमंत्री श्री (राइजिंग इंडिया के लिए पीएम स्कूल) योजना [पी-02-09-2202-01-199-99-51]	64.65	0.00	(-) 64.65 (100)
5	प्रधानमंत्री श्री (राइजिंग इंडिया के लिए पीएम स्कूल) योजना [पी-02-09-2202-01-789-93-51]	7.50	0.00	(-) 7.50 (100)
6	शिक्षा का अधिकार अधिनियम [पी-01-09-2202-01-800-93-51]	170.00	95.33	(-) 74.67 (44)
7	स्वच्छ प्रांगण [पी-01-09-2202-01-800-91-99]	7.00	4.20	(-) 2.80 (40)
8	राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम की स्थापना [पी-01-09-2202-02-004-99-51]	28.51	16.70	(-) 11.81 (41)
9	सरकारी विद्यालयों में सुधार एवं परिवर्तन [पी-01-09-2202-02-053-99-51]	105.00	9.94	(-) 95.06 (91)
10	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना [पी-02-09-2202-02-105-92-51]	60.00	21.11	(-) 38.89 (65)
11	मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत नीति [पी-01-09-2202-02-110-94-51]	5.00	0.99	(-) 4.01 (80)
12	9वीं एवं 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना [पी-01-09-2202-02-789-99-51]	10.00	1.00	(-) 9.00 (90)
13	अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए [पी-01-09-2202-02-792-99-51]	5.00	0.24	(-) 4.76 (95)
14	सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) [पी-01-09-2202-02-800-97-97]	7.00	4.12	(-) 2.88 (41)
15	छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम [पी-01-09-2202-02-800-97-96]	7.00	4.50	(-) 2.50 (36)
16	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) [पी-02-09-2202-03-103-97-51]	60.00	0.00	(-) 60.00 (100)
17	प्रारंभ शिक्षक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए राज्य संस्थान, झज्जर [पी-01-09-2202-03-188-99-51]	25.00	6.25	(-) 18.75 (75)
18	अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए [पी-01-09-2202-03-792-99-51]	10.00	0.00	(-) 10.00 (100)
19	साक्षर भारत योजना [पी-02-09-2202-04-200-97-51]	10.00	0.00	(-) 10.00 (100)
20	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, झज्जर की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-95-51]	8.00	4.32	(-) 3.68 (46)
21	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, रेवाड़ी की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-94-51]	8.00	4.86	(-) 3.14 (39)
22	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना [पी-01-10-2203-51-12-92-51]	10.00	0.00	(-) 10.00 (100)
23	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-91-51]	7.00	3.50	(-) 3.50 (50)
24	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, नीलोखेड़ी, जिला करनाल की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-90-51]	10.00	5.45	(-) 4.55 (46)
25	स्कूल भवनों का निर्माण [पी-01-12-4202-01-201-99-51]	200.00	24.90	(-) 175.10 (88)
26	प्राथमिक शिक्षा के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए योजना [पी-01-12-4202-01-201-98-51]	178.63	11.92	(-) 166.71 (93)
27	माध्यमिक विद्यालय भवन [पी-01-09-4202-01-202-99-51]	150.00	93.70	(-) 56.30 (38)
28	नाबार्ड के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूल भवन का निर्माण [पी-01-12-4202-01-202-97-51]	40.00	0.00	(-) 40.00 (100)
29	पॉलिटेक्निक भवन [पी-01-12-4202-02-104-99-51]	20.00	12.56	(-) 7.44 (37)
30	भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज) [पी-01-12-4202-02-105-99-51]	5.00	0.15	(-) 4.85 (97)
31	पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण [पी-01-10-4202-02-789-99-51]	7.00	1.96	(-) 5.04 (72)
	कुल	1,352.29	368.17	(-) 984.12 (73)
महिला एवं बाल विकास विभाग				
1	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) [पी-02-12-2235-02-102-73-51]	55.00	0.00	(-) 55.00 (100)
2	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना [पी-02-12-2235-02-102-70-51]	5.00	0.01	(-) 4.99 (99)
3	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69-51]	20.00	0.00	(-) 20.00 (100)
4	हरियाणा राज्य क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-65-51]	32.15	9.56	(-) 22.59 (70)
5	गैर-संस्थागत/केयर स्पांसरशिप/फॉस्टर केयर/पश्चवर्ती देखरेख [पी-02-12-2235-02-102-64-51]	5.00	1.54	(-) 3.46 (69)
6	चाइल्ड हेल्थलाइन [पी-03-12-2235-02-102-62-51]	14.88	0.00	(-) 14.88 (100)

क्र. सं.	योजना विवरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
7	लिंग संवेदीकरण [पी-01-12-2235-02-103-79-51]	20.00	13.60	(-) 6.40 (32)
8	महिला शक्ति केंद्र का नाम बदलकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब कर दिया गया है [पी-02-12-2235-02-103-74-51]	5.00	0.00	(-) 5.00 (100)
9	महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने की योजना [पी-03-12-2235-02-103-69-51]	7.80	4.19	(-) 3.61 (46)
10	आपकी बेटि हमारी बेटि (लाडली) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता [पी-01-12-2235-02-789-99-51]	120.00	61.77	(-) 58.23 (49)
11	अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को वित्तीय सहायता [पी-02-12-2235-02-789-90-51]	60.00	26.01	(-) 33.99 (57)
12	मुख्यालय के लिए स्टाफ [पी-01-12-2236-02-101-99-51]	97.25	12.82	(-) 84.43 (87)
13	मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता [पी-01-12-2236-02-101-86-51]	30.25	12.65	(-) 17.60 (58)
14	पोषण अभियान के लिए योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51]	53.42	0.00	(-) 53.42 (100)
15	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-98]	38.00	9.99	(-) 28.01 (74)
16	जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन - रिमांड/संप्रेक्षण गृह [पी-01-21-4235-02-102-97-99]	40.00	14.06	(-) 25.94 (65)
17	जेजेबी एवं सीडब्ल्यूसी (एसएपी) का निर्माण [पी-02-21-4235-02-102-96-51]	5.50	0.00	(-) 5.50 (100)
18	युवा लड़कियों/महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए घर-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र [पी-01-21-4235-02-103-99-51]	31.00	0.32	(-) 30.68 (99)
19	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-21-4235-02-789-99-51]	8.00	1.04	(-) 6.96 (87)
	कुल	648.25	167.56	(-) 480.69 (74)

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.1 (v); पृष्ठ 81)

महिला एवं बाल विकास विभाग में खोले गए बैंक खातों का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता नंबर	जिस योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला गया	31 मार्च 2025 को शेष (₹ करोड़ में)
1	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	184501 000238	आंगनवाड़ी केंद्र का उन्नयन/निर्माण	39.05
2	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	4301034038	आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	35.97
3	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	4301032728	पूरक पोषण कार्यक्रम	19.37
4	एक्सिस बैंक	921010048050886	किशोरियों के लिए योजना	0.96
5	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	4301034040	पोषण अभियान	1.25
6	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	16104000129664	मिशन वात्सल्य	6.60
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	50100688429074	गैर-संस्थागत देखरेख/देखभाल प्रायोजन/पालक देखरेख (फॉस्टर केयर)/पश्चवर्ती देखरेख (आफ्टर केयर)	1.55
8	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	50100684242017	मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	0.15
9	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	50100532677756	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना	0.08
10	इंडियन ओवरसीज बैंक	348401000003362	महिला हेल्पलाइन	0.06
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	348401000003360	वन स्टॉप सेंटर	0.89
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	348401000003361	महिला योजना के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए भवन का निर्माण	0.17
13	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	159478913181	महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब (हरियाणा)	0.66
14	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	4301034281	प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	55.62
15	एक्सिस बैंक	9210100 47419062	पालना	2.79
16	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	5010077 2576026	आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (पालना)	1.26
17	एचडीएफसी	50100467147689	किशोर न्याय निधि	3.07
कुल				169.50

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.2 (ii); पृष्ठ 86)

अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना विवरण	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)				
1.	राज्य राजमार्गों के अंतर्गत सड़क कार्य (पी-01-3054-03-337-51)	90.00	67.76	(-) 22.24 (25)
2.	सड़क कार्यों के अंतर्गत सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पी-02-5054-03-337-87)	150.00	110.00	(-) 40.00 (27)
3.	नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-02-5054-04-101-84-97)	15.00	0.00	(-) 15.00 (100)
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-02-5054-04-101-84-98)	80.00	43.93	(-) 36.07 (45)
5.	सड़क निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण (पी-02-5054-04-337-47)	10.00	0.00	(-) 10.00 (100)
6.	सड़क निर्माण के अंतर्गत गुरुग्राम एवं नूह जिले में (एमईएस) पर किमी 0 से 11.50 मीटर तक चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर), सुदृढ़ीकरण एवं आई.पी.बी. (पी-02-5054-04-337-48-99)	9.19	4.67	(-) 4.52 (49)
7.	अंबाला सर्कल सीएफसी में सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-02-5054-04-337-49-99)	22.00	0.00	(-) 22.00 (100)
8.	अंबाला सर्कल सीएफसी में सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-02-5054-04-337-49-99)	230.00	0.85	(-) 229.15 (100)
9.	ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-02-5054-04-337-98-97)	170.00	107.76	(-) 62.24 (37)
10.	ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-02-5054-04-337-98-98)	100.00	49.98	(-) 50.02 (37)
11.	ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (पी-02-5054-04-337-99-98)	130.00	78.30	(-) 51.70 (40)
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (पी-02-5054-04-789-99-97)	25.00	13.56	(-) 11.44 (46)
13.	अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबार्ड का अंशदान (पी-02-5054-04-789-99-98)	55.00	32.86	(-) 22.14 (40)
14.	अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत राज्य का अंशदान (पी-02-5054-04-789-99)	70.00	13.86	(-) 56.14 (80)
15.	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआरआईडीसी) के लिए पूंजीगत इक्विटी (पी-01-5054-80-190-99)	10.00	0.00	(-) 10.00 (100)
कुल		1,166.19	523.53	(-) 642.66 (55)
परिवहन विभाग				
1.	हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत सी-रिपेयर एवं रखरखाव (पी-01-3055-201-97)	255.69	204.28	(-) 51.41 (20)
2.	भूमि एवं भवन के अंतर्गत विनियामक विंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण (पी-01-5055-050-77)	20.00	3.30	(-) 16.70 (84)
3.	भूमि एवं भवन के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-050-78)	200.00	116.84	(-) 83.16 (42)
4.	बेड़े के अधिग्रहण के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-102-77)	180.00	15.36	(-) 164.64 (91)
कुल		655.69	339.78	(-) 315.91 (48)

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.2 (iii); पृष्ठ 86)

अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)				
1	सी.आर.आई.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पूर्णतः केंद्र प्रायोजित) (5054-03-337-87)	2022-23	150.00	40.87	109.13 (73)
		2023-24	150.00	93.47	56.53 (38)
		2024-25	150.00	110.00	40.00 (27)
2	नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97)	2022-23	15.00	3.22	11.78 (79)
		2023-24	15.00	2.77	12.23 (82)
		2024-25	15.00	0.00	15.00 (100)
3	जिला सड़कों के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (5054-04-337-99-99)	2022-23	56.00	31.53	24.47 (44)
		2023-24	70.00	42.90	27.10 (39)
		2024-25	70.00	58.49	11.51 (16)
4	अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबार्ड का अंशदान (5054-04-789-98)	2022-23	55.00	40.56	14.44 (26)
		2023-24	55.00	37.11	17.89 (33)
		2024-25	55.00	32.85	22.15 (40)
	परिवहन विभाग				
1	3055-800-97 सी-रिपेयर एवं रखरखाव	2022-23	12.68	10.54	2.14 (17)
		2023-24	12.17	7.94	4.23 (35)
		2024-25	11.15	8.60	2.55 (23)
2	5055-050-77 विनियामक विंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण	2022-23	20.01	0.00	20.01 (100)
		2023-24	20.00	0.56	19.44 (97)
		2024-25	20.00	3.30	16.70 (84)

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9.1; पृष्ठ 87)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	कुल बजट	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
1	पी-01-17-5054-03-101-81-99- राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	27 मार्च 2025	50.00	93.85	43.85	6.93
2	पी-01-17-5054-03-337-88-99- राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार		350.00	406.08	56.08	108.77
3	पी-01-17-5054-04-101-84-99- राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण		200.00	171.09	-28.91	22.37
4	पी-01-17-5054-04-337-99-99- राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार		70.00	58.49	-11.51	10.86
	कुल		670.00	729.51	59.51	148.93

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2.2; पृष्ठ 92)

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कर्मचारी द्वारा अंशदान	राज्य सरकार द्वारा अंशदान	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	एनएसडीएल को कुल अंतरित	कम अंतरण (+)/ अधिक अंतरण (-)
	1	2	3	4 = (2+3)	5	6 = (1+4)-5
2008-09 ¹	0.02	0.02	0	0.02	0	0.04
2009-10	0.04	28.88	9.18	38.06	23.91	14.19
2010-11	14.19	78.29	37.07	115.36	101.13	28.42
2011-12	28.42	104.35	67.64	171.99	183.00	17.41
2012-13	17.41	163.58	98.76	262.34	302.80	(-) 23.05
2013-14	(-) 23.05	240.47	143.25	383.72	421.26	(-) 60.59
2014-15	(-) 60.59	314.54	283.69	598.23	529.53	8.11
2015-16	8.11	328.94	278.83	607.77	596.45	19.43
2016-17	19.43	382.15	378.04	760.19	729.70	49.92
2017-18	49.92	479.94	460.44	940.38	975.76	14.54
2018-19	14.54	565.88	534.30	1,100.18	1,086.16	28.56
2019-20	28.56	717.91	694.20	1,412.11	1,407.78	32.89
2020-21	32.89	778.53	766.83	1,545.36	1,535.18	43.07
2021-22	43.07	875.35	939.66	1,815.01	1,839.41	18.67
2022-23	18.67	1,004.06	1,321.09	2,325.15	2,343.02	0.80
2023-24	0.80	1,157.10	1,664.45	2,821.55	2,795.76	26.59
2024-25	26.59	1,339.41	1,865.42	3,204.83	3,164.16	67.26
कुल		8,559.40	9,542.85	18,102.25	18,035.01	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

¹ 2008-09 से पूर्व के आंकड़े हजार में हैं, जिन्हें करोड़ में परिवर्तित करने के पश्चात तालिका में दर्शाया जाना संभव नहीं है। अतः, तालिका में एन.पी.एस. के आंकड़े वर्ष 2008-09 से ही दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 103)

2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेख कब से लंबित हैं	लंबित लेखों की संख्या
1.	हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पंचकुला	2024-25	1
2.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2013-14 से 2024-25	12
3.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण हरियाणा राज्य (सीएएमपीए)	2021-22 से 2024-25	4
4.	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	2024-25	1
5.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग	2024-25	1
6.	हरियाणा खादी एवं ग्रामोदयोग बोर्ड	2022-23 से 2024-25	3
7.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	2022-23 से 2024-25	3
8.	हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पंचकुला	2021-22 से 2024-25	4
9.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पंचकुला (एचआरईआरए)	2023-24 से 2024-25	2
10.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम	2023-24 से 2024-25	2
11.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण	2024-25	1
12.	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2024-25	7
13.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	2024-25	1
14.	हरियाणा राज्य जल संसाधन प्राधिकरण	2024-25	1
15.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	2024-25	1
16.	हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकुला	2024-25	1
17.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला	2023-24 से 2024-25	2
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम	2023-24 से 2024-25	2
19.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, हरियाणा	2018-19 से 2022-23 ²	4
20.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	2016-17 से 2024-25	9
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), जींद	2024-25	1
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला	2024-25	1
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	2024-25	1
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	2024-25	1
25.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	2024-25	1
26.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	2024-25	1
27.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	2024-25	1
28.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	2024-25	1
29.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	2024-25	1
30.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नूंह	2024-25	1
31.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	2024-25	1
32.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	2024-25	1
33.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	2024-25	1
34.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	2024-25	1
35.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	2024-25	1
36.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	2024-25	1
37.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	2024-25	1
38.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., भिवानी	2024-25	1
39.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	2024-25	1
40.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	2024-25	1
कुल			82

स्रोत: विभागीय डेटा/सूचना

² 2022-23 के बाद कोई लेखा सौंपा नहीं गया।